संलग्नक–1

मानक शर्ते

(वन अनुभाग–3, उ.प्र. शासन की पत्र सं. 7314/14–3–980/82 दिनांक– 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैद्यानिक स्तर में कोई परिवर्तन नही होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित /आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नही।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चत कर लिया जाय कि मॉगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है।
5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति, नहीं पहुंचायेगें और ऐसा किए जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाए गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नही होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति पूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जावेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जावेगी।
11. सडक निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0नि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्त सा0नि0नि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौडी को सम्बोधित पत्र संख्या–608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशो का पालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि आवश्यक मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सडक का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

क्रमशः पेज– /2.....

Scanned by CamScanner

(13)

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षो के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षो का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बाज (OAK) के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नही किया जायेगा या खम्भों को ऊचॉ करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो नयूनतम पेडों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निष्चित की जाएगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुंमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगायी जाती है, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तो को पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

24/05/16

अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड–प्रथम,
पिपरी–सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग
रेणुकूट, सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

Scanned by CamScanner

संलग्नक संख्या–2

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–प्रथम, पिपरी–सोनभद्र द्वारा कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरों बायीं कनहर नहर एवं दायीं कनहर नहर तथा इनसे निकलने वाली शाखाओं, अल्पिकाओं एवं राजवाहों के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग के दुद्धी, विंढ़मगंज, एवं बघाडू रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 103.6750 हे0 वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग के कोन रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 23.4887 हे0 वन भूमि (कुल वन भूमि 127.1637 हे0) को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसकी मॉग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता 100 वर्षों के लिए है, किन्तु वन विभाग के नियमानुसार लीज अवधि 25 वर्षो की होने के कारण 25 वर्ष की मांग की गयी है। आगे की अवधि हेतु तत्समय के नियमानुसार लीज का नवीनीकरण कराया जायेगा।

24/05/2016

अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड–प्रथम,
पिपरी–सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट, सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

Scanned by CamScanner

संलग्नक संख्या-7

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–प्रथम, पिपरी–सोनभद्र द्वारा कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरों बायीं कनहर नहर एवं दायीं कनहर नहर तथा इनसे निकलने वाली शाखाओं, अल्पिकाओं एवं राजवाहों के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग के दुद्धी, विंढ़मगंज, एवं बघाडू रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 103.6750 हे0 वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग के कोन रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 23.4887 हे0 वन भूमि (कुल वन भूमि 127.1637 हे0) को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसकी मॉग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। परियोजना में प्रभावित वन भूमि की स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार/उ.प्र.सरकार द्वारा एन.पी.वी.की धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में जो शर्ते लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करने हेतु बचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

24/08/16

अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड–प्रथम,
पिपरी–सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र

Scanned by CamScanner

संलग्नक संख्या–8

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–प्रथम, पिपरी–सोनभद्र द्वारा कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरों बायीं कनहर नहर एवं दायीं कनहर नहर तथा इनसे निकलने वाली शाखाओं, अल्पिकाओं एवं राजवाहों के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग के दुद्धी, विंढ़मगंज, एवं बघाडू रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 103.6750 हे0 वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग के कोन रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 23.4887 हे0 वन भूमि (कुल वन भूमि 127.1637 हे0) को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसकी मॉग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। परियोजना में प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि वनीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित गैर वन भूमि पर वनीकरण करने हेतु जो भी धनराशि की मॉग की जायेगी उसे जमा करने हेतु बचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

24/8/16

अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड–प्रथम,
पिपरी–सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट, सोनभद्र

Scanned by CamScanner